"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुंगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जून 2009—आषाढ़ 5, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2009

क्रमांक 606/238/2009/1-8/स्था.— श्री एन. डी. कुन्दानी, स्टाफ आफिसर, सचिव सहकारिता विभाग को दिनांक 27-4-2009 से 23-5-2009 तक 27 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. डी. कुन्दानी को सचिव, सहकारिता विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. डी. कुन्दानी अवकाश पर नहीं जाते तो सचिव, सहकारिता विभाग के स्टाफ आफिसर के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2009

क्रमांक 664/504/2009/1-8/स्था.— श्री राम प्रसाद राठिया, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग को दिनांक 27-5-2009 से 3-6-2009 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री राम प्रसाद राठिया को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री राम प्रसाद राठिया अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2009

क्रमांक 666/448/2009/1-8/स्था.— श्री विलियम कुजूर, उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 4-5-2009 से 8-5-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विलियम कुजूर को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री विलियम कुजूर अवकाश पर नहीं जाते तो उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2009

क्रमांक ई-7/49/2004/1/2.— श्री सुबोध कुमार सिंह, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, छ. ग. शासन को दिनांक 04-06-2009 से 12-06-2009 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13 एवं 14 जून, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, आगामी आदेश तक संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री, छ. ग. शासन के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 जून 2009

क्रमांक ई-7/45/2004/1/2.— इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14-05-2009 के द्वारा श्री एम. के. पिंगुआ, भा. प्र. से., आयुक्त, बस्तर सम्भाग, जगदलपुर को दिनांक 01-06-2009 से 12-06-2009 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था. उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब श्री पिंगुआ को दिनांक 01-06-2009 से 16-06-2009 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 31 मई, 2009 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है. साथ ही उन्हें स्वयं के व्यय पर थाईलैण्ड एवं सिंगापुर की विदेश प्रवास की अनुमति भी दी जाती है.

2. शेष शर्तें यथावत् रहेंगी:

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 मई 2009

क्रमांक 1010/एफ 7-48/32/08.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक-एफ 7-53/32/2008 दिनांक 20-02-2009 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में निम्नानुसार भूमि उपयोग उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

राजनांदगांव विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	अंगीकृत विकास योजना के अनुसार भूमि का उपयोग	उपांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	राजनांदगांव	210 एवं 209/4	5.36 एकड़ में से 5.00 एकड़	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	शॉपिंगमॉल कम मल्टीप्लेक्स

सूचना में उल्लेखित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन अधिनियम की धारा 23-क की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. इस प्रकार किया गया यह उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जून 2009

क्रमांक एफ 8-20/2008/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का सं. 16) की धारा 41, 42 तथा सहपठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में :—

नियम 18 के उप नियम (एक) के खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नानुसार परंतुक अन्तःस्थापित किया जाये :—

"परंतु ऐसे वनोपज, जो किसी ऐसे निर्यातक राज्य से छत्तीसगढ़ में आयात किये जाते हैं जहां ऐसे वनोपज का अभिवहन, अभिवहन परमिट जारी करने से छूट प्राप्त हो, छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसे वनोपज के अभिवहन हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमा जांच नाके पर, किसी निर्यातक राज्य के किसी शासकीय या पंचायती राज संस्था या अन्य किसी कानूनी निकाय द्वारा जारी अभिलेख के आधार पर अभिवहन परमिट जारी किया जायेगा जिससे यह अभिनिश्चित हो सके कि उक्त वनोपज, उक्त निर्यातक राज्य से निर्गमित हुआ है."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जून 2009

क्रमांक एफ 8-20/2008/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-20/2008/10-2 दिनांक 11-6-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित कया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 11th June 2009

No. F 8-20/2008/10-2.—In exercise of the powers conferred by Section 41, 42 read with section 76 of Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government, hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Abhivahan (Van Upaj) Niyam 2001, namely :—

AMENDMENT

In the said rules :—

After clause (a) of sub-rule (i) of rule 18, the following proviso shall be inserted :—

"But for such forest produce, which is being imported to the State of Chhattisgarh from an exporting State where the transport of such forest produce is exempted from issuance of transit permit, shall be issued a transit permit, for transportation of such forest produce in the State of Chhattisgarh, on the border checking barrier by the competent authority on the basis of the documents issued by any Government or Panchayati Raj Institution or any other statutory body of the exporting state by which it may be ascertained that the said forest produce is originated from the said exporting state."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2009

क्रमांक 3613/719/09/19/तकनीकी.—पथकर अधिनियम (1851 का सं. 8) और जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 2 सहपठित धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 31/4/88/जी/19 भोपाल, दिनांक 05-07-1988 को अतिष्ठित करते हुए एतद्द्वारा महासमुंद जिले में फिंगेश्वर-महासमुन्द मार्ग के कि. मी. 30/6 पर स्थित केशवा नाला पुल पर पथकर की वसूली दिनांक 30-06-2009 से प्रतिसंहरित करती है.

No. 3613/719/09/19/Tech.—In exercise of the powers conferred by Section 2 read with Section 4 of the Tolls Act (VIII of 1851) and it's application to the State of Chhattisgarh, the State Government in supersession of this department's notification No. F. 31/4/88/G/19, Bhopal, Dated 05-07-1988, hereby revokes the levy of Toll on Keshwa Nala Bridge located at 30/6 km. of Fingeshwar-Mahasamund Road in Mahasamund District with effect from date 30-06-2009.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जून 2009

क्रमांक एफ. 1-8/2008/16.—कारखाना अधिनियम, 1948 (सन् 1948 का 63) की धारा 8 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एवं इस संबंध में पूर्व में जारी समस्त अधिसूचनाओं को अधिष्ठित करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. सी. दलेई, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ को मुख्य कारखाना निरीक्षक एवं सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए कारखाना निरीक्षक नियुक्त किया जाता है.

No. F. 1-8/2008/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 8 of the Factories Act, 1948 (63 of 1948) and in supersession of the all previous notifications the State Government of Chhattisgarh hereby appoints Shri P. C. Dalei, Commissioner Labour, Chhattisgarh as the Chief Inspector of Factories and to exercise the powers of an inspector throughout the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 जून 2009

रा. प्र. क्र. 3/अ-82/2008-09.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	हरदी	0.22	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	जोता एनीकट निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 8 जून 2009

क्रमांक/2725/कले./भू अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	मानिकपुर	4.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

कांकेर, दिनांक 8 जून 2009

क्रमांक/2727/कले./भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उत्तर बस्तर कांकेर	नरहरपुर	धनेसुरा	4.45	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, कांकेर.	दुधावा दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अविनाश चंपावत, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2009

क्रमांक/4069/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	खैरागढ़	जुनवानी प. ह. नं. 29	0.52	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, छुईखदान.	आमनेर मोतीनाला डायवर्सन के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गेहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 10 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2007-2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	पुरैना	0.210	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, बिलासपुर छ. ग.	मड़वारानी -परसाभाठा मार्ग के कि. मी. 2/4 पर सोन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 10 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	जर्वे	0.028	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, बिलासपुर छ. ग.	मड़वारानी -परसाभाठा मार्ग के कि. मी. 2/4 पर सोन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 10 जून 2009

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	करतला	खरहरी	0.356	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु संभाग, बिलासपुर छ. ग.	मड़वारानी -परसाभाठा मार्ग के कि. मी. 2/4 पर सोन सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 22 जून 2009

रा. प्र. क्र./2/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	तारा	225.24	प्रबंध संचालक, छ. ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., रायपुर, शाखा अम्बिकापुर.	तारा कोल परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर ज़िला सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 जून 2009

रा. प्र. क्र./3/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	मेण्ड्रा	10.93	प्रबंध संचालक, छ. ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., रायपुर, शाखा अम्बिकापुर.	तारा कोल परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 22 जून 2009

रा. प्र. क्र./4/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	प्रेमनगर	जनार्दनपुर	22.87	प्रबंध संचालक, छ. ग. मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि., रायपुर, शाखा अम्बिकापुर.	तारा कोल परियोजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर, जिला सरगुजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2009

क्रमांक/4068/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिंघौरी, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.35 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1109	0.35
योग	01	0.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला डायवर्सन के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2009

क्रमांक/4070/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-भरदागोड़, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.38 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
211/5	1.00
288/11	0.60
268/5	0.79
199	0.22
252/2	0.30
252/4	0.94
252/6	0.09
252/3	0.29
252/5	0.65
253/2	1.93
250/1	0.24
246/4	0.61
246/5	0.79
246/1	0.29
246/2	0.40
247	0.10
233/3	0.13
248	0.10
249	2.90
232/1	0.21
232/2	0.21
233/1	0.14
233/2	0.14
234	0.51
235/3	0.08
235/5	0.40
235/1	0.34
235/4	0.39
235/6	0.25
235/2	0.18
236/1	0.07
236/2	0.23
236/3	0.23
236/4	0.22
237/1	2.00

(1)	(2)
219/1	0.17
220/1	0.24
योग	18.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पंडरिया जलाशय के अन्तर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2009

क्रमांक/4071/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गोदरी, प. ह. नं. 29
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
134/1	0.10
योग 1	0.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमनेर मोतीनाला डायवर्सन के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित यादव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2009

प्रकरण क्र./1/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पथरिया
- (ग) नगर/ग्राम-खैरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
217	0.90
218/2	0.21
योग 2	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कपूआ-खैरी मार्ग पर आगर सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.